क्रमश

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत [redacted] उपखण्ड अधिकारी मुकाम [illegible]

विकास बनाम महेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा 88 RTA नं. 112/ 5.6.18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
5/6/18	आज यह पत्रावली रिपोर्ट हेतु पेश हुई [illegible] वकील वादी तथा वादी [illegible] प्रतिवादीगण उपस्थित [illegible] पेश हुआ [illegible] बाद तसदीक शामिल मिसल [illegible] वकील वादी [illegible] बाद वादी [illegible] उसी [illegible] आराजी [illegible] 2 SDA के खाता नं 23/22 की 0.442 है व खाते 8 SDA की खाता नं 83/137 की 0.506 है व 15 AMS के खाता नं 81/17 की 0.918 हैक्टेयर भूमि के प्रतिवादी [illegible] के नाम [illegible] वादी व प्रतिवादी [illegible] दर्ज [illegible] इसी अनुसार [illegible] रिकार्ड [illegible] बाद प्रतिवादी नं 2 के [illegible] उसूल [illegible]	

Vikash

पहचानकर्ता

आदि महेन्द्र

भारती

पहचानकर्ता

Surjeet B.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अध्यक्ष लोक अदालत भावरा कैम्प सदस्य लोक अदालत भावरा	

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 112 / 18

अनवान :

1. विकास पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. भारती पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला(एसबीआई) शाखा भादरा जरिये प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प के दौरान वकीलवादी श्री मुन्शीराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 2 SDR के खाता संख्या 23 / 22 मु0न0 42 किला न0 2 / 1,9,10 / 1 की 0.442 है0 व चक 8SDR के खाता संख्या 83 / 137 के मु0न0 56 के किला न0 20,21 की 0.506 है0, चक 15 AMS के खाता संख्या 81 / 17 के मु0न0 15 के किला न0 22 / 1, 23 / 1, 24 / 1 मु0न0 18 के किला न0 1 व 2 कुल 0.918 है0 उक्त तीनो चको की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब खातेदारी दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। जावे तथा प्रतिवादी सं. 2 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़